

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विभोर गुप्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं जो खण्ड स्तर पर गठित होने वाले वनभूमि सम्बन्धी प्रस्ताव ऑनलाइन किये जाने हेतु अधिकृत हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. नाम :- श्री विभोर गुप्ता
2. पदनाम :- सहायक अभियन्ता
3. पता :- प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।
4. दूरभाष फ़ैक्स :- 01374-222108
5. मोबाइल न0 :- 8791571401
6. ई-मेल :- pdpwduki@yahoo.com


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 1
उत्तरकाशी

26/03/16

766
CAO-11/1401-1

26/3/16
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

Dr. No 771/121
Date - 30/3/2016

संख्या- 1426 / 111(2)/16-02(एम0एल0ए0)/2015टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 22 मार्च, 2016

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में विभिन्न 03 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग टिहरी द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में विभिन्न 03 कार्यों की प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन, जिनकी लम्बाई 12.50 किमी० तथा लागत ₹ 189.27 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 189.27 लाख (₹ एक करोड़ उन्नब्बे लाख सत्ताईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

44m
J.E

AE

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1211(A)/XXVII(2)/2015 दि०-21 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- 1426 (1)/111(2)/16-02(एम०एल०ए०)/2015टी०सी० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, टिहरी/उत्तरकाशी।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए०एस०पांगती)
उप सचिव

प्रतिलिपि -
① अ.स. के.सी.
② अ.स. के.सी.
③ अ.स. के.सी.
④ अ.स. के.सी.
अ.स. के.सी.

शासनादेश सं०:- 1426 / 111(2)/16-02(एम0एल0ए0)/2015टी0सी0 दिनांक 22 मार्च, 2016 का संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	कुल स्वीकृत लागत।	(धनराशि लाख ₹ में) चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा-स्थालना मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	82.38	0.10
2	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कैन्थोगी मोटर मार्ग के किमी. 02 से कालोगी कण्डारा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.50	24.68	0.10
3	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बड़ेथी-बनचौरा-बद्रीगाड़ मोटर मार्ग के किमी. 23 से काण्डी गांव हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	82.21	0.10
	योग:-	12.50	189.27	0.30

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

(ए०एस०पांगती)
उप सचिव

twm
J-E

AE